राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.17(69)कृषि–2/89/10387–423 दिनांकः 15.12.06

–:: अधिसूचना ::–

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम सं. 38) की धारा 36 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त धारा की उप धारा (4) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश देती है कि इन नियमों को पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्त किया जाये, क्योंकि राज्य सरकार का विचार है कि इन्हें तुरन्त प्रवृत किया जाना चाहिये, अर्थात्

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1996

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ**
   1) ये नियम राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम 1996 कहलायेंगे।
   2) ये नियम 15 जून, 1995 से प्रभावशाली होंगे।
2. **परिभाषाएं**
   जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में
   (क) बोर्ड से अभिप्राय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से है।
   (ख) 'प्रशासक/अध्यक्ष' का अभिप्राय यथास्थिति राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रशासक/अध्यक्ष से है।
   (ग) 'मुख्यलेखाधिकारी' से तात्पर्य बोर्ड के मुख्यलेखाधिकारी से है।
   (घ) 'सचिव' से तात्पर्य बोर्ड के सचिव से है।
   (ड़) 'निधि' का अभिप्राय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सामान्य प्रावधायी निधि से है। इस निधि में मासिक योगदान की राशि जमा कराई जाती रहेगी एवं विद्यमान कर्मचारियों के द्वारा अंशदायी प्रावधायी निधि में जमा कराई गई राशि व ब्याज की राशि को स्थानान्तरण किया जावेगा।
   (छ) 'अभिदाता' से अभिप्राय उन कर्मचारियों से है, जो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड पेन्शन नियम, 1995 के द्वारा शासित होगें अथवा जिनको मासिक अभिदाय की राशि निर्धारित दर पर इन विभागों के अन्तर्गत सामान्य प्रावधायी निधि में जमा करानी होगी।

(ज) 'अभिदाय' से अभिप्राय निर्धारित दर पर कर्मचारी द्वारा सामान्य प्रावधायी निधि में किये गये योगदान की राशि से है, जिसमें वेतन बिल द्वारा की गई कटौति की राशि व नकद के रूप में जमा कराई गई राशि शामिल होगी।

(झ) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(न) 'अवकाश' से अभिप्राय राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषित 'अवकाश' से है।

(ल) 'परिवार' इन नियमों के प्रयोजनार्थ परिवार में अभिदाता के निम्न संबंधी शामिल होंगे :–

(1) पति / पत्नी

(2) अव्यस्क पुत्र व अविवाहित पुत्रियों (इसमें वैध रूप से गोद ली गई सन्तान भी शामिल होंगे।

(ष) 'वेतन' से तात्पर्य, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (24) में परिभाषित वेतन से है।

3. लागू होने का क्षेत्र

(1) बोर्ड के उन सभी विद्यमान कर्मचारियों पर, जिन्होंने राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा (पेन्शन) नियम, 1995 के अन्तर्गत पेन्शन योजना अपनाने का विकल्प दे दिया है, लागू होंगे।

(2) उन सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिनकी नियुक्ति बोर्ड सेवा के नियमित पद पर नियमित वेतन श्रृंखला में दिनांक 15 जून, 1995 का अथवा इसके पश्चात् की गई है।

4. नाम निर्देशन (नोमीनेशन)

(1) मुख्य लेखाधिकारी निधि में सम्मिलित होते समय प्रत्येक अभिदाता से ऐसा नाम निर्देशन करायेगा जिसे निधि में उसके खाते में जमा राशि को उस दशा में प्राप्त करने का अधिकार दिया गया हो, जबकि उसके खाते में जमा राशि के संदेय होने से पूर्व या जहां राशि संदेय हो गई हो तो उक्त राशि का भुगतान होने से पूर्व अभिदाता की मृत्यु हो जाये।

(2) यदि निधि में सम्मिलित होने के समय अभिदाता का परिवार हो तो वह प्रथम अनुसूचि में दिये गये प्रारूप में अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में नाम निर्दशन, मुख्य लेखाधिकारी को भेजेगा।

(3) यदि किसी अभिदाता का परिवार नहीं है, तो वह दूसरी अनुसूची में दिये गये प्रारूप में किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का उसी भाति नाम निर्देशित करेगा।

(4) यदि कोई अभिदाता किसी भी समय परिवार वाला हो जाता है तो वह उप नियम (2) में उपबंधित के अनुसार मुख्य लेखाधिकारी को एक नाम निर्देशन भेजेगा और यदि उसने उप नियम (3) के अधीन अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को नाम निर्देशित किया है तो वह पूर्व नाम निर्देशन को औपचारिक रूप से रद्द कर देगा।

(5) कोई भी अभिदाता अपने नाम निर्देशन में निधि में अपने खाते में जमा राशि का बंटवारा स्वविकेकानुसार अपने नाम निर्देशितों में कर सकेगा।

(6) कोई भी अभिदाता नाम निर्देशन रद्द कर सकेगा, परन्तु यह तब जबकि उक्त नाम निर्देशित के स्थान पर इस नियम के अधीन अनुज्ञेय कोई अन्य नाम निर्देशन कर दिया जाये।

(7) कोई भी नाम निर्देशन उस सीमा तक प्रभावी होगा, जिस सीमा तक वह मुख्य लेखाधिकारी द्वारा उसे प्राप्त किये जाने की तारीख को विधि मान्य है।

(8) नाम निर्देशित व्यक्ति की मृत्यृ हो जाने पर अभिदाता नवीन नाम निर्देशन प्रस्तुत करेगा।

(9) प्रत्येक नाम निर्देशन या रद्दीकरण उस तिथि से प्रभावी होगा, जिस तिथि को मुख्य लेखाधिकारी द्वारा प्राप्त किया जावेगा।

5. अभिदाता का खाता

(1) प्रत्येक अभिदाता के नाम से एक खाता खोला जायेगा, जिसमें उसके अभिदायों एवं उन पर इन नियमों के अन्तर्गत दी जानें वाली संगणित ब्याज की राशि को एवं अभिदाता द्वारा समय–समय पर आहरण की गई व ऋण ली गई राशि को दिखलाया जावेगा।

(2) इस खाते में जमा कराई गई व निकाली गई राशि का इन्द्राज एक पास बुक में जो कि आहरण व वितरण अधिकारी द्वारा सम्पादित की जायेगी में संधारित किया जावेगा।

(3) इन नियमों की प्रभावी तिथि को कर्मचारी के अंशदायी प्रावधायी निधि के खाते में उपलब्ध कुल धन राशि (जिसमें ब्याज की राशि शामिल रहेगी) अभिदाता के खाते में इस निधि में स्थानान्तरित समझी जावेगी।

6. अभिदाय की शर्ते

(1) अभिदाता की निर्धारित दर पर निधि में मासिक अभिदाय करेगा। निलम्बन एवं असाधारण अवकाश (लीव विदाउट पे) अवधि में अभिदाय नहीं करेगा।

(2) निलम्बन की कालावधि व्ययतीत हो जाने के पश्चात बहाल हो जाने पर अभिदाता को उक्त कालावधि के लिए देय अभिदायों की बकाया राशि एक मुश्त या किश्तों में संदाय करने हेतु विकल्प देने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, परन्तु किश्त की राशि मासिक संदाय की राशि से कम नहीं होगी।

7. अभिदाय की दर

(1) प्रत्येक अभिदाता को कम से कम उसके वेतन पर राज्य सरकार के नियमानुसार अभिदाय करना होगा, जो कि निकटतम पूरे रूपये में गणनीय होगा।
किन्तु अभिदाता अधिक राशि का अभिदाय करने का विकल्प दे सकेगा जो कि माह मार्च में दिया जावेगा व कम से कम 12 माह की अवधि तक वैध रहेगा।

(2) उप नियम (1) के प्रयोजनार्थ किसी अभिदाता का वेतन वह होगा, जिसे वह उस तारीख को पाने का हकदार था, परन्तु

(i) यदि अभिदाता उक्त तिथि को असाधारण अवकाश पर था और वह उक्त अवकाश काल में अभिदाय न करने का विकल्प देता है या वह उक्त तिथी को निलम्बित था, तो उसका वेतन वह होगा जिसे वह ड्यूटी पर आने के पश्चात् प्रथम दिन पाने का हकदार था,

(ii) यदि अभिदाता उक्त तिथि को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त तिथि को अवैतनिक अवकाश पर था या लगातार अवकाश पर बना रहता है तथा उक्त अवकाश के दौरान अभिदाय करने का विकल्प देता है तो उसका वेतन वह होगा जिसे वह भारत में ड्यूटी पर होने की दशा में प्राप्त करने का हकदार होता,

(iii) यदि कोई अभिदाता उक्त तिथि के पश्चात् प्रथम बार निधि में सम्मिलित होता है, तो उसका वेतन वह होगा जो वह ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को पाने का हकदार था।

(3) अभिदाता एक मुश्त राशि भी मुख्य लेखाधिकारी की अनुमति से निधि में जमा करा सकेगा।

8. ब्याज

(1) बोर्ड, अभिदाता के खाते में प्रत्येक वर्ष ब्याज की राशि, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संगणना के विहित तरीके व निर्धारित दर पर प्रत्येक वर्ष अवधारित की जाये, जमा करायेगा, जो कि निकटतम पूर्ण रूपयों में होगी।

(2) ब्याज, पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिन अभिदाता के खाते में कुल जमा की गई राशि पर दिया जावेगा जो निम्न शर्तो के अधीन रहेगा :–

(i) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशियों पर चालू वर्ष आरम्भ से जिस माह में राशि निकाली गई है, उससे पूर्ववती माह के अन्तिम दिन तक का ब्याज।

(ii) पूर्ववती वर्ष के अन्तिम दिन के पश्चात् अभिदाता के खाते में जमा समस्त राशियों पर जमा कराने की तारीख से चालू वर्ष के अन्त तक का ब्याज।

(iii) इस नियम के अनुसार परिलब्धियों से वसूली के मामले में राशि जमा कराये गये की तारीख उस माह की पहली तारीख समझी जावेगी, जिस माह में उसकी वसूली की गई हो और अभिदाता द्वारा प्रेषित राशि के मामले में यदि मुख्य लेखाधिकारी को उस माह की 10 तारीख से पूर्व राशि प्राप्त हो जाये तो उस माह की पहली तारीख समझी जायेगी किन्तु यदि राशि 10 तारीख को या उसके पश्चात् प्राप्त हुई हो तो वह तारीख अगले माह की पहली तारीख होगी।

9. निधि में से अग्रिम

(1) निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए, मुख्य लेखाधिकारी किसी अभिदाता को तीन मास के वेतन + 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की रकम या निधि में उसके खाते में जमा रकम के आधे से अनाधिक रकम उसमें से जो भी कम हो, पूरे रूपयों में अग्रिम के रूप में स्वीकृत कर सकेगाः–

(क) अभिदाता या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की रूग्णता या निःशक्तता सम्बन्धी व्ययों का, जहॉ आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित भुगतान।

(ख) निम्नलिखित मामलों में अभिदाता या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की उच्च शिक्षा के व्ययों और जहॉ आवश्यक हो यात्रा व्यय की पूर्ति, अर्थात्:

(i) भारत के बाहर उच्च माध्यमिक स्कूल स्तर से ऊपर के शैक्षिक, तकनीकी, वृतिक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए।

(ii) भारत में उच्च माध्यमिक स्कूल स्तर से ऊपर के किसी आयुर्विज्ञान, अभियान्त्रिकी या अन्य तकनीकी या विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम के लिए परन्तु यह तब जबकि अध्ययन पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम का न हो।

(ग) अभिदाता की हैसियत के अनुरूप, अभिदाता द्वारा विवाह या अन्य संस्कारों पर किये जाने वाले व्यय का संदाय जो रूढिगत प्रथा के अनुसार आवश्यक है।

(घ) बोर्ड ड्यूटी के पालन में किसी अभिदाता द्वारा की गई या तात्पर्यित किसी कार्यवाही के लिए उनके विरूद्ध लगाये गये किन्हीं अभिकथनों के संबंध में स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने हेतु उसके द्वारा उसके द्वारा संस्थित किसी विधिक कार्यवाही के खर्चे की पूर्ति। यह अग्रिम इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्त्रोत से मिलने वाले किसी अग्रिम के अतिरिक्त होगा।

टिप्पणी :—उपरोक्त खण्ड के अधीन ऐसे अभिदाता के लिए अग्रिम अनुज्ञेय नहीं होगा जो किसी न्यायालय में या अपनी बोर्ड ड्यूटी से अंतबद्ध किसी मामले के संबंध में या सेवा की किसी शर्त या उस पर अधिरोपित शास्ति के संबंध में बोर्ड के विरूद्ध कार्यवाही संस्थित करता है।

(ड) अभिदाता द्वारा स्वयं के मकान की मरम्मत, परिवर्तन या परिवर्धन पर किये जाने वाले आवश्यक व्यय की पूर्ति हेतु।

(2) विशेष परिस्थितियों को छोडकर, जिन्हें लेखबद्ध किया जावेगा, किसी अभिदाता को उपनियम (1) में अधिकथित परिसीमा से अधिक या किसी पूर्ववर्ती अग्रिम की अन्तिम किश्त का प्रति संदाय होने तक, कोई अग्रिम नहीं दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में भी अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जावेगा। जब तक कि पूर्व अग्रिम का 2/3 भाग वसूल न हो जाये तथा पूर्व स्वीकृत अग्रिम से 12 माह का समय पूर्ण न हो जाये और इस अवधि में अभिदाता से अग्रिम की नियमित वसूली हो गई हो। इस प्रकार के मामले में, पहले स्वीकृत अग्रिम की वसूली यथावत चालू रहेगी और इसका शेष नये अग्रिम में वसूली हेतु नहीं जोड़ा जावेगा।

10. अग्रिम राशि की वसूली

(1) अग्रिम राशि की वसूली 12 मासिक किश्तों से कम में नहीं की जावेगी, जब तक कि अभिदाता ऐसा करने के लिए विकल्प न दे देवे या किसी भी दशा में 24 किश्तों से अधिक नहीं होगी। किश्त पूरे निकटतम रूपयों में होगी।

(2) अग्रिम राशि की वसूली अभिदाता के अग्रिम लेने के बाद मिलने वाले वेतन से प्रारम्भ की जावेगी।

टिप्पणीः— इस उप नियम में परिभाषित ''वेतन'' से तात्पर्य निलम्बन काल में मिलने वाले गुजारा भत्ता से नहीं है।

(3) अग्रिम पूर्णतः वसूल हो जाने के तुरन्त पश्चात ब्याज की राशि, राज्य सरकार के निमयानुसार निम्न सूत्र के अनुसार काटी जावेगीः—

सूत्र : $\frac{\text{मूलधन X समय X प्रचलितदर}}{100}$

11. नियम—11

उपनियम — 1 :— खाते से स्थायी प्रत्याहरण केवल निम्नलिखित मामलों में स्वीकृत किया जावेगा :—

(अ) 15 वर्ष की सेवा अवधि (भंग सेवा अवधि, यदि कोई हो, को सम्मलित करते हुऐ) के बाद या सेवा निवृति की तिथि से दस वर्ष पूर्व, जो भी पहले हो, उप नियम 2 में विर्णत निर्दिष्ट उद्‌देश्यों एवं सीमा तक के लिए।

(ब) उप नियम 3 में विर्णत सीमा तक भवन निर्माण हेतु अभिदाता के सेवा काल में किसी भी समय।

(स) अभिदाता की अधिवार्षिकी सेवा निवृति से पूर्व 12 माह में बिना किसी कारण के निधि से उसके खाते में जमा के 90 प्रतिशत तक राशि

(द) अधिकारियों के मामले में बोर्ड/प्रशासक व कर्मचारियों के मामले में सचिव प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकेगा।

परन्तु यदि किसी समय उसी प्रयोजन के लिये नियम 9 के अन्तर्गत अग्रिम स्वीकृत किया जा रहा है तो इस नियम के अन्तर्गत आहरण स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

(य) जब अभिदाता सेवा छोड़ देता है, तो निधि में उसके खाते में जमा रकम उसे संदेय हो जायेगी, परन्तु ऐसा अभिदाता जिसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और जो तत्पश्चात् सेवा में बहाल कर दिया जाता है, इस नियम के अनुसरण में उसकी संदत की गई रकम नियम 10(3) में उपबंधित दर पर ब्याज सहित वापिस करेगा जिसे निधि में उसके खाते में जमा करा दिया जावेगा।

उप नियम — 2:—

भवन निर्माण के अतिरिक्त स्थायी उद्‌देश्यों के लिए प्रत्याहरण :—

(1) निधि में अभिदाता के खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत स्थायी आहरण निम्नलिखित उद्‌देश्यों के लिएः—

(अ) अभिदाता या उसकी किसी सन्तान की उच्च शिक्षा के व्ययों एवं जहां आवश्यक हो, उक्त उद्‌देश्य के यात्रा व्यय को सम्मिलित करते हुए व्ययों की पूर्ति के लिए निम्न मामलों मेंः—

(i) भारत के बाहर सैकण्डी स्कूल स्तर से ऊपर शैक्षणिक प्रावैधिक, व्यवसायिक या वृतिक पाठ्‌यक्रम के लिए।

(ii) भारत में सैकण्डरी स्कूल स्तर से ऊपर आयुर्विज्ञान, अभियांत्रिक या अन्य प्रावैधिक या विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम के लिए परन्तु अध्ययन का यह पाठ्यक्रम 3 वर्ष से कम अवधि का न हो।

(ब) अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित माता–पिता की रूग्णता के व्यय, जहॉ आवश्यक हो, उसके यात्रा व्यय सहित व्यय की पूर्ति हेतु।

(स) जीप/मोटरकार/स्कूटर आदि खरीदने हेतु परन्तु शर्त यह होगी कि इन उद्देश्यों के लिए प्रत्याहरण खरीदे गए वाहन की कीमत के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(द) स्थायी उपभोग की वस्तुए जैसे रेफरीजरेटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन आदि के मूल्य पूर्ति के लिए परन्तु शर्त यह होगी कि ऐसे उद्देश्यों के लिए आहरण की राशि खरीदे गये उपकरण के मूल्य के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

(2) अभिदाता की स्वयं या उसके पुत्रों/पुत्रियों की सगाई/विवाह के व्ययों की पूर्ति के लिए निधि में अभिदाता के खाते में जमा का 75 प्रतिशत स्थायी आहरण स्वीकृत किया जा सकेगा।

उप नियम – 3 :–

भवन हेतु स्थायी आहरणः–

अभिदाता के खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत स्थायी आहरण उसे निम्नलिखित प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया जा सकता हैः–

(अ) अपने स्वयं के निवास के लिए भवन निर्माण करने या भूमि के मूल्य सहित निर्मित आवास/फ्लैट अधिग्रहित करने या जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, राजस्थान आवसन मण्डल या नगर निगम/नगर पालिका द्वारा आवंटित भूखण्ड या फ्लैट का मूल्य भुगतान करने हेतु।

(ब) अपने निवास के लिए भवन निर्माण या निर्मित आवास/फ्लैट क्रय करने के उद्देश्य से लिए गये ऋण की बकाया राशि के भुगतान हेतु।

(स) अपने निवास हेतु भवन निर्माण करने के लिए भूखण्ड क्रय करने हेतु एवं इस हेतु लिये गये ऋण की बकाया राशि भुगतान करने हेतु।

(द) अभिदाता द्वारा पूर्व में ही निर्मित अथवा अधिग्रहित भवन या आवास के पुननिर्माण विस्तार अथवा परिवर्धन हेतु।

(य) पूर्वजों के मकान या सरकार की सहायता अथवा ऋण से निर्मित मकान के नवीनीकरण, विस्तार अथवा परिवर्धन या मरम्मत हेतु।

(र) उपधारा (स) के अन्तर्गत क्रय किये गये भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु।

टिप्पणी:–

(1) यदि अभिदाता के पास पूर्वजों का मकान या सरकार से लिये गये ऋण की सहायता से उसके पदस्थापन स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भवन निर्माण किया गया है, तो वह नियम 11 (3) के खण्ड (अ),(स) एवं (र) के अन्तर्गत अपने पदस्थापन स्थान पर भूखण्ड खरीदने या दूसरा भवन निर्माण करने या निर्मित आवास अधिग्रहित करने हेतु स्थायी आहरण स्वीकृत करने का पात्र होगा।

(2) नियम 11(3) (अ), (द), (य) या (र) में अभिदाता द्वारा निर्माण विस्तार, परिवर्धित किये जाने वाले मकान की अनुमानित लागत एवं योजना का नक्शा, जिस क्षेत्र में मकान/भूखण्ड आवंटित है के स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित, जहां ऐसा वास्तव में कराना आवश्यक है, प्रस्तुत करने पर ही स्थायी आहरण स्वीकृत किया जावेगा।

(3) नियम 11(3) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत स्वीकृत आहरण की राशि पूर्व में खण्ड (अ) कें अन्तर्गत लिये गये आहरण की राशि को शामिल करते हुए आवेदन करने की दिनांक को अभिदाता को खाते में जमा राशि के 3/4 से अधिक नहीं होगी। इससे पूर्व में लिया गया आहरण कम किया जायेगा। इस संबंध में अपनाया जाने वाला सूत्र इस प्रकार है:–

3/4 (अवशेष + पूर्व प्रत्याहरण) – पूर्व प्रत्याहरण

(4) यदि मकान का भूखण्ड अथवा मकान अभिदाता के पति/पत्नि के नाम है और अभिदाता द्वारा मनोनयन में उसे प्रावधायी निधि राशि प्राप्त करने के लिए प्रथम मनोनीत नियुक्त किया गया है, तो नियम 11(3) के खण्ड (अ) या (ब) के अन्तर्गत आहरण स्वीकृति योग्य होगा।

(5) इस नियम के अन्तर्गत एक प्रयोजन के लिए केवल एक ही आहरण देय होगा, परन्तु मकान अथवा फ्लैट विस्तार ओर परिवर्धन की नई योजना स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित हो तो समान प्रयोजन नहीं माना जावेगा। नियम 11(3) के खण्ड (अ) या (र) के अन्तर्गत उसी मकान को पूर्ण कराने हेतु टिप्पणी (3) में दी गई सीमा के अन्तर्गत द्वितीय एवं आगामी आहरण देय होगे।

12. नियम 12 :–

राज्य सरकार द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि नियम (जी.पी.एफ.) 16, 17, एवं 18 में समय–समय पर किये गये संशोधन विपणन बोर्ड के सामान्य भविष्य निधि नियम 1996 के नियम 11 उप नियम 1, 2, एवं 3 पर भी प्रभावी होगे।

13. अभिदाता की सेवानिवृति

जब अभिदाता स्वेच्छा से सेवानिवृति ले लेता है या अवकाश पर रहते हुए सेवा निवृत होने हेतु अनुज्ञेय कर दिया गया है, या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा हेतु अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है अथवा अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत हो जाता है तो निधि में उसके खाते में जमा रकम इस सम्बन्ध में उसके द्वारा मुख्य लेखाधिकारी को आवेदन करने पर अभिदाता को संदेय की जावेगी।

परन्तु यदि अभिदाता ड्यूटी पर वापिस आ जाता है, तो वह निधि में से ली गई पूर्ण राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के एक मुश्त अथवा किश्तों में, निधि में प्रति संदाय करेगा। किश्त की राशि उसके आधे वेतन से अधिक नहीं होगी।

14. अभिदाता की मृत्यु

अभिदाता के खाते में जमा रकम के संदेय होने से पूर्व या जहॉ रकम संदेय हो गई हे, तो संदाय होने से पूर्व यदि अभिदाता की मृत्यु परः–

(क) अभिदाता द्वारा अपने पीछे कुटुम्ब छोड़ने की दशा में

(i) यदि अभिदाता द्वारा नियम 4(1) के अनुसार अपने कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में है, तो निधि में अभिदाताा के खाते में जमा रकम या उसका कोई अंश जो नाम निर्देशन से सम्बन्धित है नाम निर्देशन में विर्निदिष्ट अनुपात में उसके नाम निर्देशिती यानाम निर्देशितियों को संदाय हो जायेगा।

(ii) यदि अभिदाता के कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में कोई नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं है, या यदि ऐसा नाम निर्देशन निधि में उसके खाते में जमा रकम के एक अंश से ही सम्बन्धित है, तो सम्पूर्ण रकम या उसका अंश, जो नाम निर्देशन से सम्बन्धित नहीं है, जैसी भी स्थिति हो, उसके कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किये जानें हेतु तात्पर्य किसी नाम निर्देशन के होते हुए भी उसके कुटुम्ब के सदस्यों को समान अंशों में से संदेय हो जायेगा, परन्तु निम्नलिखित को कोई अंश संदेय नहीं होगा।

1. पुत्र जिन्होंने विधिक वयस्कता प्राप्त कर ली है।
2. मृत पुत्र के पुत्र जिन्होंने विधिक वयस्कता प्राप्त कर ली है।
3. विवाहित पुत्रियॉ, जिनके पति जीवित है।
4. मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियॉ, जिनके पति जीवित है।

परन्तु यह और कि मृत पुत्र की विधवा या विध्वाओं उसके बच्चे या बच्चों को उसी दशा में उस अंश के समान हिस्से मिलेंगे, जो अंश पुत्र, अभिदाता से उत्तरजीवी होने पर और प्रथम परन्तुक के खण्ड (1) के उपबंधों से मुक्त कर दिये जाने पर प्राप्त करता।

(ख) अभिदाता द्वारा अपने पीछे कुटुम्ब न छोड़ने की दशा में यदि नियम 4(1) उपबन्धों के अनुसारण में किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों के पक्ष में अभिदाता द्वारा किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में हो तो निधि में अभिदाता के खाते में जमा रकम या उसका कोई अंश जो नाम निर्देशन से सम्बन्धित है, नाम निर्देशित या नाम निर्देशितियों को नाम निर्देशन में विर्निदिष्ट अनुपात में संदेय हो जायेगा।

(ग) यदि अभिदाता द्वारा कोई नाम निर्देशन नहीं किया गया हो, तो निधि में अभिदाता के खाते में जमा रकम उसके विधिक उत्तराधिकारियों को संदेय होगी।

15. संदाय राशि का लेखा

(1) आहरण एवं वितरण अधिकारी वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके खाते में जमा राशि का ब्योरा भिजवायेगा, जिसमें वर्ष का प्रारम्भिक शेष, वर्ष मे जमा कराई गई राशि व इस पर दिये गये ब्याज की राशि एवं वर्ष का अन्तिम शेष दर्शाया जावेगा।

(2) अभिदाता उप नियम (1) का लेखा प्राप्त होने पर इसकी शुद्धता से सन्तुष्ट होगा यदि किसी गलती का पता लग जावे तो वह आहरण एवं वितरण अधिकारी व मुख्यलेखाधिकारी को इसकी सूचना लेखा प्राप्ति दिनांक से 3 माह की अवधि में भिजवा देगा।

16. निधि का संचालन

(1) इन नियमों के अन्तर्गत सृजित सामान्य प्रावधायी निधि का संचालन एवं नियन्त्रण प्रशासक/अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार ही किया जावेगा।

(2) इन नियमों के अन्तर्गत निधि में जमाओं को लेखा की पुस्तकों में ''बोर्ड सामान्य भविष्य निधि लेखा'' के अन्तर्गत दर्शाया जावेगा।

(3) इस निधि की राशि को निजी निक्षेप खाता (ब्याज वाला) खुलवा कर उसमें रखा जावेगा।

17. नियम 17 :–

विविध

इन नियमों से जो बिन्दु शासित नहीं होते उनके लिये राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 लागू समझे जावेगें।

राज्यपाल के आदेश से,

(के.सी. शर्मा)
शासन उप सचिव

क्रमांकः–प.17(69)कृषि–2/89/10387–423 दिनांकः 15.12.06

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रशासक, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
2. महा प्रबंधक, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जयपुर जोन प्रथम/द्वितीय।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, वृत........................।
6. समस्त अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड......................।
7. सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जयपुर